न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 79 / 2022

ताराचन्द पुत्र श्री देबूराम, जाति जाट, निवासी मेहाडा जाटूवास, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.03.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.02.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 79 / 2022 पर दिनांक 23.02.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 598—99 दिनांक 23.02.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0 / 2022 / 170 दिनांक 28.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री ताराचन्द पुत्र श्री छैलूराम, निवासी मेहाडा जाटूवास, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(02) / 2022 / 40—41 दिनांक 12.01.2022 द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई थी कि आप द्वारा दिनांक 29.09.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक न्याय / 2021 / 954—55 दिनांक 28.12.2021 द्वारा तहसीलदार खेतडी व थानाधिकारी खेतडी को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। संबंधित दस्तावेजात् की प्रमाणित नकल आप किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रतिलिपि आवेदन मय निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क (कोर्ट फीस टिकिट) प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0 / 2022 / 170 दिनांक 28.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री ताराचन्द पुत्र श्री छैलूराम, निवासी मेहाडा जाटूवास, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 06.01.2022 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(02) / 2022 / 40—41 दिनांक 12.01.2022 द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवा दी गई थी कि आप द्वारा दिनांक 29.09.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक न्याय / 2021 / 954—55 दिनांक 28.12.2021 द्वारा तहसीलदार खेतडी व थानाधिकारी खेतडी को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है। संबंधित दस्तावेजात् की प्रमाणित नकल आप किसी भी कार्य दिवस को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.31 11:56:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय समय मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रतिलिपि आवेदन मय निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क (कोर्ट फीस टिकिट) प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.31 11:56:27 IST
Reason: SelfAttested